

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०- 3914884 पटना, दिनांक 03/04/2025
ग्रा०वि०-R-503/271/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-245904)

श्री कुन्दन कुमार, ग्रा०वि०से० (अनुक्रमांक-276937), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेरिया बरियारपुर (बेगूसराय) सम्प्रति-सहायक परियोजना पदाधिकारी, (मुंगेर) के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), SBM-G/विधि के कार्यान्वयन में उदासीनता बरतने तथा विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-392 दिनांक-27.03.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर प्रखंड कार्यालय, चेरिया बरियारपुर के पत्रांक-614 दिनांक-18.05.2023 द्वारा श्री कुमार का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री कुन्दन कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1916332 दिनांक-18.07.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-3215223 दिनांक-27.09.2024 द्वारा 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया गया।

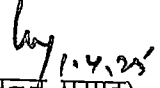
उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री कुन्दन कुमार द्वारा दिनांक-09.11.2024 को विभाग में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। श्री कुन्दन कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य नहीं है, जिससे कि पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जाय।

उक्त वर्णित परिस्थिति में सम्यक विचारोपरांत श्री कुन्दन कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

का०परि०

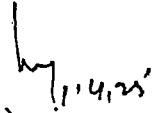
बही

ज्ञापांक:- 3914884 / ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 03/04/2025

ग्रा०वि०- R-503/271/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-245904)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

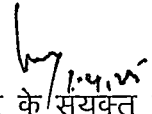
अनुलग्नक- यथोक्त।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3914884 / ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 03/04/2025

ग्रा०वि०- R-503/271/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-245904)

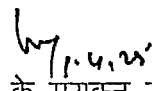
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं मुंगेर / उप विकास आयुक्त, बेगूसराय एवं मुंगेर/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय एवं मुंगेर/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री कुन्दन कुमार, ग्रा०वि०से० (अनुक्रमांक-276937), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरेया बरियारपुर (बेगूसराय) सम्प्रति-सहायक परियोजना पदाधिकारी, (मुंगेर) / आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3914884 / पटना, दिनांक :- 03/04/2025

ग्रा०वि०- R-503/271/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-245904)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव